मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, भोपाल
फोन 0755–2550095, 2551486–87 फैक्स 2550094

क्रमांक/NR-3/MGNREGS-MP/2010/4420 भोपाल, दिनांक 30/04/2010

प्रति,

1. **कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक**
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक**

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला – समस्त (मध्यप्रदेश)

विषय: ग्रामीण सम्पर्क सड़क के कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा स्वीकृत किये जाने बावत्।

—0—

सामान्य क्षेत्र में 500 तक की आबादी के एवं आदिवासी क्षेत्र में 250 तक की आबादी के सभी बसाहटों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र., बी.आर.जी.एफ. एवं मुख्यमंत्री सड़क योजना के अभिसरण से ग्रामीण सम्पर्क सड़कों से जोड़े जाने की कार्ययोजना विभाग के परिपत्र क्रमांक 2998/MGNREGS-MP/NR-3/2010 दिनांक 27.3.2010 द्वारा जारी की गई है। परिपत्र अनुसार सड़क का कार्य इंडियन रोड कांग्रेस तथा विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड तथा आवश्यकतानुसार गुणवत्ता बनाये रखने हेतु मशीनों के माध्यम से संपादित किया जाना है, इसके लिए ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है।

कुछ जिलों से यह सूचना प्राप्त हुई है कि जो सड़के "ग्रामीण सम्पर्क सड़क योजना" में चिन्हांकित है उन्हें भी ग्राम पंचायतों द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. अथवा अन्य मदों से प्रारंभ किया जा रहा है। अतः निर्देशित किया जाता है कि जिन सड़कों को इस योजना में चिन्हांकित किया गया है, उन्हें किसी अन्य योजना अथवा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. से स्वीकृत कर प्रारंभ न किया जावे।

उक्त निर्देशों के जारी होने के बाद किसी भी सड़क कार्य की स्वीकृति प्रदाय करते समय इस आशय का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न किया जावे कि प्रस्तावित सड़क ग्रामीण सम्पर्क सडक योजना के अन्तर्गत चिन्हांकित नहीं है। अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध जिम्मेदारी निर्धारित की जावेगी।

30/4/10
(शिव शेखर शुक्ला)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

पृ.क्रमांक/NR-3/MGNREGS-MP/2010/4421 भोपाल, दिनांक 30/04/2010

प्रतिलिपि–

1. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल।
2. कमिश्नर, समस्त संभाग, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित।
3. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मण्डल समस्त मध्यप्रदेश।
4. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग समस्त मध्यप्रदेश।
5. प्रोजेक्ट मैनेजर, समस्त प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट, बारहमासी ग्रामीण सड़क योजना, मध्यप्रदेश।
6. सहायक यंत्री, ग्रायांसे/एमजीएनआरईजीएस–एमपी समस्त मध्यप्रदेश ।
7. कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त की ओर भेजकर लेख है कि उक्त निर्देशों से सभी ग्राम पंचायतों को अवगत कराया जावे।

30/5/10
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद